

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

3

अज अदालत उपजिला कलक्टर मुकाम चौडाभीम व
 इजलास जगदीश भाग R.A.S

उजवाण

खर्च पतिन प्रभूदयाल
 कुडी पुत्र श्योबी
 गारि वैश्या निवासी
 कमालपुरा तह्द चौडाभीम
 (वाडीगण)
 जिला - करौली

बनाम

1. भीमन पुत्र गोगरिया
 2. भरोली पुत्र सम्पत्ता
 3. प्रभूदयाल पुत्र मोरी लाल
 गारि वैश्या निवासी कमालपुरा
 तह्द चौडाभीम (पुतिवाडीगण)
 जिला - करौली


बाबत स्वाधी निवेद्याज्ञा

मुकदमा नं० 70 सन् 2014

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई खर्च दी खर्चा चर्च शमी इन्फोर्मेट व हाजिरी
ग्याउमण शमी इन्फोर्मेट (पुतिवाडीगण) मिनकानिब गुदई खबर
 निब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है। व डिक्री दी जाती है कि

दावा वाडी शिलाफ पुतिवाडीगण डिक्री किता जा ल है।
 पुतिवाडीगण को स्वाधी निवेद्याज्ञा से पाबन्द किता जा ल है।
 हे कि ग्राम कमालपुरा की भूमि खंन नं० 623, रकबा
 1.05 हे० व हिस्सा 1 में वाडीगण के कर्के काशर में
 मजादकर, मुदायलह नही की।

मुबलिया बाबत खर्चा इस मुकदमे के मय
 शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक
 मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख माह सन्
 को जारी की गई



दस्तखत उपजिला कलक्टर
चौडाभीम (करौली)
 ओहदा

मुहर	रुपया	पैसे	मुदायला	रुपया	पैसे
स्टांप अर्जी दावा स्टांप अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिशनर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान					

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखया गया हो या नहीं दर्ज कराना चाहिए।